न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी आसीन्द
बईजलास श्री सी.एल.शर्मा (आर.ए.एस.)

मेन्यूअल प्रकरण संख्या	17/2020
GSMS प्रकरण संख्या	2020/00024
वाद दायर दिनांक	04.02.2020
वाद निर्णय दिनांक	05.08.2021

उनवान

1.जगदीशचन्द्र पि.सोहनलाल ब्राह्मण नि.नई नगरी माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा —वादी

बनाम

1.गोपाललाल पि.कल्याणमल ब्राह्मण नि.बनेड़ा हाल मु.प्रताप टाँकीज के सामने भीलवाड़ा तहसील भीलवाड़ा
2.राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाड़ा —प्रतिवादीगण

उपस्थित वकील -वादी	श्री पदमसिंह देथा
उपस्थित वकील-अवादीगण	पैरोकार सरकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,92 A RTA 1955

आदेश

वादी द्वारा वाद-पत्र माध्यम अधिवक्ता पेश कर संक्षेपतः निवेदन किया है कि निम्नांकित कृषि भूमि चौथमल पि.नोला ब्राह्मण के नाम खातेदारी हक से दर्ज चली आ रही थी -

ग्राम का नाम	संवत	आ.नं.	रकबा
करजालिया		1418	0.19

(1) उक्त खातेदार चौथमल के कोई जायन्दा औलाद नहीं होने से उन्होने अपने जीवनकाल में वादी के पक्ष में अन्तिम वसीयतनामा दिनांक 30.11.1990 को निष्पादित किया था। वसीयतकर्ता चौथमल की दिनांक 31.12.1990 को तथा उनकी पत्नि कस्तूरबाई की भी 31.01.1995 को मृत्यु हो जाने के पश्चात उनकी चल अचल सम्पति का अधिकारी उक्त वसीयत अनुसार वादी बन गया था।

(2) वसीयत कर्ता चौथमल पि.नोला के नाम ग्राम माण्डल व ब्रम्हपुरी में दर्ज कृषि भूमि उक्त वसीयनामे के आधार पर वादी के नाम दर्ज रेकार्ड हो चुकी है किन्तु ग्राम करजालिया में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि आराजी नम्बर 1418 रकबा 0.19 है [illegible] नर्बदादेवी ने राजस्व कर्मचारियों से मिलाभगत करते हुये अपने नाम दर्ज क[illegible] वसीयत के मुताबिक उक्त विवादित भूमि वादी के नाम दर्ज रेकार्ड की जाना न्यायसंगत था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.13 13:21:51 IST
Reason: SelfAttested

(3) उक्त वादग्रस्त जायदाद पर वसीयत सम[illegible] निरन्तर वादी का चला आ[illegible] है तथा उक्त नामान्तरण की जानकारी के पश्चात वादी द्वारा एक व[illegible]त्र अन्तर्गत धारा 88,188 व [illegible] का खातेदारी घोषणा बाबत् सहायक कलक्टर महोदय गुलाबपुरा के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो कि प्रकरण संख्या 174 /2006 के रूप में जैर कार्यवाही रहा तथा उक्त जायदाद पर माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश भी पारित हुआ। उक्त सभी तथ्यों की जानकारी विपक्षी को होते हुये भी उसके द्वारा नर्बदा देवी की मृत्यु हो जाने के तथ्य को न्यायालय से छिपाकर उक्त जायदाद का नामान्तरण संख्या

सहायक कलक्टर(S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

847/17.02.2013 अपने पक्ष में निष्पादित करवा लिया जबकि उक्त समय वादी का पूर्व प्रार्थना पत्र में कार्यवाही होकर स्थगन आदेश प्रभावी था।

(4) उक्त नामान्तरण संख्या 847/17.02.2013 की वादी द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी जिसे स्वीकार की जाकर उक्त नामान्तरण खारिज कर दिया गया जिसकी विपक्षी गोपाल द्वारा द्वितिय अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त अजमेर में प्रस्तुत की गयी जिसके निर्णय में उक्त नामान्तरण को विवादित करार कर लाल स्याही से नोट का आदेश दिया था।

(5) विपक्षी संख्या 01 व मृतक नर्बदा देवी द्वारा एक प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान् जिला कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष वादी के विरूद्ध प्रस्तुत किया जो कि माननीय न्यायालय द्वारा वादी के पक्ष में की गयी वसीयत को सही ठहराते हुये प्र.सं.101/2005 ई.डी.के रूप में खारिज कर दिया गया।

(6) मृतक नर्बदा देवी द्वारा वादग्रस्त आ.नं.ग्राम करजालिया 1418 में गलत रूप से खातेदार कायम होने के पश्चात ग्राम ब्रम्हपुरी व माण्डल की जायदाद में भी वादी के विरूद्ध धारा 88 RTA का वाद पत्र पेश किया जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 11.11.2019 को खारिज कर दिया गया है।

(7) इस बिनाय वादी बहक प्रतिवादी संख्या 01 के खातेदारी हक की घोषणा करवाने तथा स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी है। अतः बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 के इस आशय की डिक्री सादर पारित फरमायी जावें की राजस्व ग्राम करजालिया में स्थित आ.नं.1418 रकबा 0.19 हैक्टर वादी के नाम खातेदारी की घोषणा की जावें तथा प्रतिवादी संख्या 2 को पाबन्द किया जावें कि ऐसे डिक्री आदेश की पालना में राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावें।

(8) प्रस्तुत वाद पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी संख्या 1के नाम की विधिवत रूप से आवाज लगवायी जाने पर उनके व उनके अधिवक्ता के बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं होने से उनके विरूद्द एक तरफा कार्यवाही के आदेश किये जाते है। विपक्षी संख्या 2 व 3 की ओर से पैरोकार सरकार ने उपस्थित न्यायालय होकर कथन किया कि प्रकरण में राज्य सरकार के औपचारिक पक्षकार होने से जवाब दिया जाना अपेक्षित नहीं है।

(9) वकील वादी द्वारा वाद-पत्र के समर्थन मे निम्न गवाहान के बयान कलमबद्ध करवाये तथा निम्न दस्तावेजात प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली किये गये -

नाम गवाह / दस्तावेजात	PW / EXP	प्रस्तुत दिनांक
वसीयतनामा दिनांक 30.11.1990	EXP-1	08-04-2021
सहायक कलक्टर आसीन्द आदेशिका प्र.सं.289/2005	EXP-2	08-04-2021
तहसीलदार आसीन्द द्वारा RTI मे दी गयी सूचना दिनांक 12.08.13	EXP-3	08-04-2021
मृत्यु प्रमाण पत्र नर्बदा जारी दिनांक 23.04.2012	EXP-4	08-04-2021
जमाबन्दी ग्राम करजालिया खाता संख्या 101 संवत 2071-74	EXP-5	08-04-2021
साक्ष्य का शपथ-पत्र श्री जगदीश पि.सोहनलाल ब्राह्मण	PW -1	08-04-2021
साक्ष्य का शपथ पत्र श्री घनश्याम लाल पि.केसरीलाल माणम्या	PW -2	08-04-2021
साक्ष्य का शपथ पत्र श्री प्रहलादराय पि.घीसूलाल तड़बा नि.माण्डल	PW -3	08-04-2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.13 13:21:51 IST
Reason: SelfAttested

10. वकील वादी की इस्तदुआ पर बहस वकील वादी को एक पक्षीय सुना गया। वकील वादी ने वक्त बहस वाद पत्र में अंकित तथ्यो को पुनः दोहराते हुये निवेदन किया कि वादी बहक प्रतिवादी संख्या 01 के खातेदारी हक की घोषणा करवाने तथा स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः बहक वादी विरूद्द प्रतिवादी संख्या 01 के इस आशय की डिक्री सादर पारित फरमायी जावें की वादग्रस्त आराजियात को वादी के नाम खातेदारी की घोषणा की जावें तथा प्रतिवादी संख्या 2 को पाबन्द किया जावें कि ऐसे डिक्री आदेश की पालना में राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावें।

11. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। विवेचन निम्नानुसार है –

सहायक कलक्टर (S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

(I) वादग्रस्त भूमि ग्राम करजालिया खसरा नम्बर 1418 रकबा 0.19 हैक्टर भूमि जमाबन्दी संवत 2071-74 के अनुसार नर्बदा पुत्री नोला ब्राह्मण के नाम दर्ज रेकार्ड है।

(II) न्यायालय स्थगन होने के बावजूद विरासत का वादग्रस्त नामान्तरण संख्या 847 निर्णय दिनांक 17.02.2013 स्वीकृत होने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा वादग्रस्त नामान्तरण संख्या 847 को अपास्त करने पर उक्त वाद ग्रस्त आराजी पुनः नर्बदा पुत्री नोला ब्राह्मण के नाम दर्ज रेकार्ड हुई है।

(III) मौका रिपोर्ट दिनांक 08.04.2005 पटवारी हल्का करजालिया के अनुसार वादग्रस्त भूमि में विरासतीय सजरा निम्नानुसार है –

चम्पालाल ब्राह्मण

↓

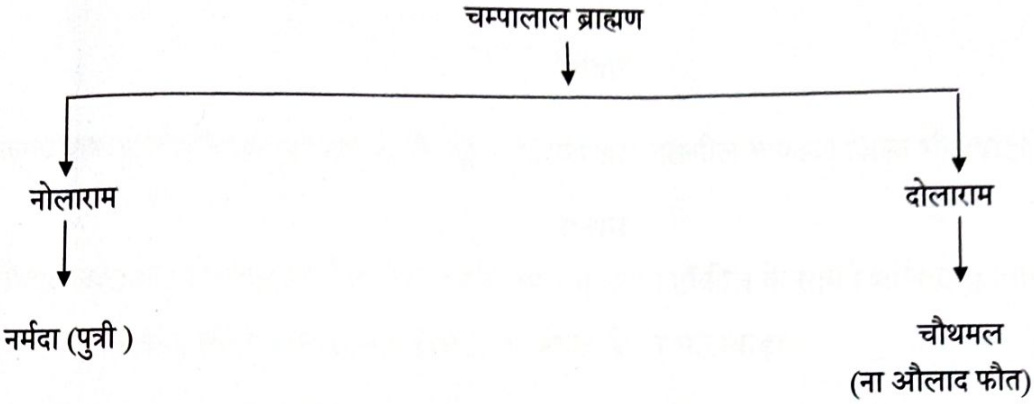

नोलाराम → नर्मदा (पुत्री)

दोलाराम → चौथमल (ना औलाद फौत)

(4) उक्त वाद ग्रस्त आराजी चौथमल पि.नोला ब्राह्मण के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड चली आ रही थी जिनकी मृत्यु 31.12.1990 तथा उनकी पत्नि कस्तूरबाई की मृत्यु दिनांक 31.01.1995 को हो गयी है। खातेदार चौथमल ने अपने जीवनकाल में दिनांक 30.11.1990 को एक अपंजीकृत वसीयतनामा वादी के पक्ष में निष्पादित करवाया गया जो उनके जीवन की अन्तिम वसीयत थी। उक्त वादग्रस्त भूमि उक्त दर्शित सजरे को आधार मानते हुये नर्मदा पुत्री नोला के नाम दर्ज रेकार्ड हुई है।

(5) संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट हुआ है कि चौथमल के नाम ग्राम माण्डल तहसील माण्डल के नाम दर्ज भूमि उनके देहावसान के बाद वादी के नाम दर्ज रेकार्ड हुई है। इनके अलावा बिजली के बिल /पानी के बिल में भी वादी के पिता का नाम चौथमल का नाम अंकन है।

(6) माननीय अपर जिला न्यायाधीश फास्ट ट्रेक सं.2 भीलवाड़ा के प्रकरण संख्या 110/2005 निर्णय दिनांक 01.05.2009 में वसीयत को सही होना स्वीकार किया गया है।

उक्त विवचेन / बयान गवाह के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है -

—:क्रियात्मक निर्णय :—

अतः वादी द्वारा माध्यम अधिवक्ता प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,92 A RTA 1955 स्वीकार किया जाकर दावा वादी डिक्री किया जाकर निम्नांकित कृषि भूमि मे वादी को खातेदार घोषित किया जाता है –

क्र.सं.	नाम ग्राम	खातेदार का विवरण	आ.नं.	रकबा
1	करजालिया	जगदीशचन्द्र पि.सोहनलाल ब्राह्मण सा.नई नगरी माण्डल तहसील आसीन्द	1418	0.19

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.13 13:21:51 IST
Reason: Self Attested

तदनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया जावें। [illegible] अनुसार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर करें। निर्णय आज दिनांक 05.08.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सी.एल.शर्मा)
सहायक कलक्टर(S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा